



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6659

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 58 वर्ष 2026

सत्यवती देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के वकील : पंकज कुमार राय, प्रदीप कुमार गौतम

प्रत्यर्थी(गण)के वकील : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक राय ने मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में जाने के लिए वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, क्योंकि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर और बाराबंकी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।